

रिपोर्ट पाठ्यकारी हल्का / आर्दोएल०आर० ११११११ / १३५

आवेदन पत्र को राजस्व में जांच की गई। विराको अनुसार
 Sir निवेदन है कि ग्राम खोटे के खाना नं. 68 में खोटेदार का नाम ओमप्रकाश
 सोपुपुरा में है परंतु खाना कार्ड व J.O के आधार पर ओमप्रकाश का नाम
 प्रकाश पुत्र प्रभुराम दुरुस्त किया जाना प्रस्तावित है।

फायरालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी
 दिनांक - 26/11/2021

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंका की जाती है / नहीं की जाती है।

दुरुस्त किया जाना उचित है।

26/11/2021
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

1737
 21

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :- 26/11/2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	खोटे	2025/78	68	ओमप्रकाश सोपुपुरा	प्रकाश पुत्र प्रभुराम

नोट :- शेष पृविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
 दिनांक :-

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 1628 - 1127
 प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया

सूचनार्थ।
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुर